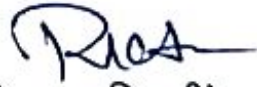


सूचना एम.बी.बी.एस. नीट यूजी. राज्य स्तरीय (स्टेट) काउंसलिंग 2025-26 में प्रवेश हेतु
उपस्थित अभ्यर्थियों के लिये

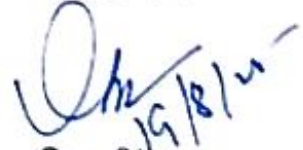
म.प्र. शासन द्वारा लागू (विद्यमान) योजनाओं की जानकारी के संबंध में सूचना
(मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना)

1. योजना हेतु अभ्यार्थी को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु एम.पी. बोर्ड से कक्षा 12वीं में 70 % या उससे अधिक अंक एवं सी.बी.एस.ई. /आई.सी.एस.ई. द्वारा आयोजित 12 वीं की परीक्षा में 85 % या उससे अधिक अंक होना अनिवार्य है।
3. उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही योजना हेतु पात्र होंगे।
4. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रवेश हेतु उपस्थित हुये अभ्यार्थी के पिता/पालक/अभिवावक की सत्र 2024-25 में वार्षिक आय सीमा 8 लाख से कम हो। (वर्तमान आय प्रमाण-पत्र)
5. इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।
6. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु शासकीय मेडीकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 1 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बांड राशि रु. 10 लाख के रूप में (बांड की राशि का 0.5 % की राशि के स्टॉप पर) निष्पादन करेंगे।

विशेष नोट :- प्रवेशित विद्यार्थी को कक्षाएं प्रारंभ होने के उपरांत प्रवेशित योजना का वास्तविक लाभ लेने हेतु SCHOLARSHIP PORTAL MMJK पर आवेदन भरना अनिवार्य हैं, पोर्टल पर आवेदन नहीं भरने की स्थिति में योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा पूर्ण शिक्षण शुल्क संस्था में जमा करना होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।


(नोडल अधिकारी)

छात्रवृत्ति शाखा
गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर


(नोडल अधिकारी)

नीट यूजी. काउंसलिंग 2025-26
गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर